इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेशा राजपद्य

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 39]

(ख)

(11)

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 24 सितम्बर 2021-आश्विन 2, शक 1943

भाग ४

विषय-सूची

- (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक,
 - (1) अध्यादेश
 - (1) प्रारूप नियम,
- (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन
- (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,
- (2) अन्तिम नियम.

- (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक
- (3) संसद् के अधिनियम.

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)-कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम विनियम

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

पंचम तल, मेट्रो प्लाजा, ई-5, अरेरा कालोनी, बिट्टन मार्केट, भोपाल-462016

भोपाल, दिनांक २२ सितम्बर २०२१

क्र. 1400—मप्रविनिआ—2021.— विद्युत अधिनियम 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 181 की उपधारा (1) तथा 181 की उपधारा (2) के खण्ड (यघ) तथा (यज्ञ) सहपठित धारा 61 के खण्ड (ज) तथा धार 86 की उपधारा (1) के खण्ड (ङ) सहपठित भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय द्वारा क्रमांक जीएसआर 818 (ई) के माध्यम से अधिसूचित विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) नियम, 2020 यथा संशोधित तथा इस निमित अन्य समस्त सामर्थ्यकारी शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश

विद्युत नियामक आयोग, एतदद्वारा, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (ग्रिंड संयोजित शुद्ध मापन) विनियम, 2015 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :--

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (ग्रिड संयोजित शुद्ध मापन) विनियम, 2015 में द्वितीय संशोधन (एजी–39 (ii), वर्ष 2021)

- 1. संक्षिप्त शीर्षक, सीमा तथा प्रारंम (1) ये विनियम "मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (ग्रिड संयोजित शुद्ध मापन) (द्वितीय संशोधन) विनियम 2015, (एजी–39 (ii), वर्ष 2021)" कहलायेंगे।
- (2) ये विनियम सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में लागू होंगे।
- (3) ये विनियम मध्यप्रदेश राज्य के राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- 2. विनियम 2 में संशोधन
- (1) विनियम 2 में, खण्ड (ट) के पश्चात् निम्न खण्ड (टक) जोड़ा जाए, अर्थात् :--
- (टक) "सकल मापन" से अभिप्रेत है व्यवस्था जिसके अन्तर्गत पात्रता रखने वाले उपभोक्ता परिसर में स्थापित की गयी नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली से उत्पादित ऊर्जा जो ग्रिड से भी संयोजित होती है, को वितरण अनुज्ञप्तिधारी की वितरण प्रणाली को प्रदान किया जाता है ;
- (2) विनियम 2 में, खण्ड (थ) के पश्चात् खण्ड (थक) जोड़ा जाए, अर्थात् :--
- (थक) "उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूमर)" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो ग्रिड से विद्युत का उपभोग करने के साथ—साथ आपूर्ति स्थल का उपयोग करते हुए वितरण अनुज्ञप्तिधारी के लिये ग्रिड में विद्युत भी प्रवाहित कर सकता है। यद्यपि उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूमर) को उपभोक्ता के समान दर्जा मिलेगा और उसके पास सामान्य उपभोक्ता के समान अधिकार ही होंगे, उन्हें स्वयं या सेवा प्रदाता के माध्यम से छत शीर्ष नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) प्रणाली स्थापना करने का अधिकार भी प्राप्त होगा;

विनियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् : "3. विस्तार एवं लागू होना

- (क) पात्र उपभोक्ता शुद्ध मापन व्यवस्था के अधीन 500 किलोवाट क्षमता तक नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली स्थापित कर सकेगा। तथापि, नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली की क्षमता प्रयोज्य स्वीकृति भार अथवा संविदा मांग से अधिक न होगी;
- (ख) 500 किलोवाट से अधिक क्षमता हेतु अधिकतम एक मेगावाट तक सकल मापन की अनुमित प्रदान की जाएगी। तथापि, नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली की क्षमता प्रयोज्य स्वीकृत भार या उपभोक्ता की मांग संविदा मांग से अधिक न होगी;
- (ग) ऐसी नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली बहुमंजिला भवनों के प्रकरण में उपभोक्ता परिसर अथवा सामान्य सुविधा क्षेत्र में अवस्थित होगी ;
- (घ) ऐसी नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली समय—समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति संबंधी उपाय) विनियम, 2010 के सुसंबद्ध प्रावधानों के अनुसार वितरण अनुज्ञप्तिधारी के साथ सुरक्षित रूप से अन्तर्संयोजित और परिचालित होगी ;
- (ङ) ऐसी प्रणाली हेतु अनुज्ञात वोल्टेज स्तर पर मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2021 के अनुसार होगा ; और
- (च) उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूमर) जो इस अधिसूचना की तिथि से पूर्व शुद्ध मापन (नेट मीटरिंग) की सुविधा का उपयोग कर रहे हैं, को इस सुविधा का लाभ उठाने की अनुमति जारी रखी जाएगी।"

4. विनियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :-"4. सामान्य सिद्धांत

"वितरण अनुज्ञप्तिधारी ऐसे उपभोक्ता को जो उसके प्रदाय क्षेत्र में ग्रिड संयोजित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली को स्थापित करने के बारे में आशय प्रकट करता हो, को शुद्ध अथवा सकल मापन व्यवस्था के उपबन्ध यथास्थिति प्रथम आएं प्रथम पाएं आधार पर बिना किसी पक्षपात के परिचालन प्रतिबन्धों के अध्यधीन रहते हुए प्रस्तावित करेगा:

परन्तु यह कि उपभोक्ता इन विनियमों के अधीन यथाविनिर्दिष्ट निर्धारित क्षमता की ग्रिड संयोजित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली को संस्थापित करने की पात्रता रखता हो:

परन्तु यह और भी कि इस प्रयोजन हेतु अधोसंरचना विकास पर किये जाने वाले व्यय, यदि कोई हों, उपभोक्ता द्वारा वहन किये जाएंगे।"

5. विनियम 5 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :--"5. वितरण ट्रांसफार्मरों की क्षमता

वितरण अनुज्ञप्तिधारी यथास्थिति, शुद्ध अथवा सकल मापन व्यवस्था के अन्तर्गत नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों को संयोजित किये जाने के बारे में वितरण ट्रांसफार्मर स्तर की क्षमता को वार्षिक आधार पर अद्यतन करेगा तथा यह जानकारी अपनी वेबसाईट पर उपलब्ध करायेगाः

परन्तु वितरण अनुज्ञप्तिधारी के किसी विशिष्ट ट्रांसफार्मर पर अनुज्ञेय संचयी क्षमता वितरण ट्रांसफार्मर की शीर्ष क्षमता के 30 प्रतिशत से अधिक न होगी।"

6. विनियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम स्थापित किसा जाए, अर्थात् :--

"7 ग्रिड के साथ अन्तर्संयोजन

नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली का वितरण अनुज्ञप्तिधारी के तन्त्र (नेटवर्क) से अन्तर्सयोजन वितरित उत्पादन संसाधनों हेतु तकनीकी मानकों के अनुरूप समय—समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (वितरण उत्पादन संसाधनों हेतु तकनीकी मानक) विनियम, 2013 के अनुसार किया जाएगा।

- 7. विनियम 8 में, शीर्षक "ऊर्जा लेखांकन तथा व्यवस्थापन" को "शुद्ध मापन हेतु ऊर्जा लेखांकन तथा व्यवस्थापन" पढ़ा जाए।
- 8. विनियम 8(7) के स्थान पर निम्नं विनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :--
 - "(7) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में कोई शुद्ध ऊर्जा आकलन (नेट इनर्जी क्रेडिट) जो असमायोजित शेष के रूप में रह जाता है, का भुगतान यथास्थिति सौर/पवन बोली प्रक्रिया में प्राप्त की गई न्यूनतम विद्युत—दर के बराबर, अगले वित्तीय वर्ष में 15 मई तक, उक्त वित्तीय वर्ष में मध्यप्रदेश राज्य हेतु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पात्र उपभोक्ताओं को कर दिया

जाएगा। यदि उक्त वर्ष के दौरान कोई भी दर प्राप्त नहीं की जाती है तो अन्तिम पूर्व वित्तीय वर्ष में प्राप्त की गई न्यूनतम विद्युत—दर (टैरिफ) पर विचार किया जाएगा।"

9. विनियम 8 के पश्चात् निम्नलिखित विनियम जोड़ा जाए, अर्थात् :--

"8क. सकल मापन हेतु ऊर्जा लेखांकन तथा व्यवस्थापन

- (एक) प्रत्येक बिलिंग अवधि हेतु प्रत्येक वितरण अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता / उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूमर) द्वारा अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली में अन्तःक्षेपित (इन्जेक्ट) की गई विद्युत की मात्रा तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदाय की गई विद्युत की मात्रा को पृथक—पृथक दर्शाएगा।
- (दो) उपभोक्ता / उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूमर) द्वारा बिलिंग अवधि के दौरान अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली में अन्तःक्षेपित की गई ऊर्जा का भुगतान वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा, यथास्थिति, सौर / पवन बोली प्रक्रिया में प्राप्त की गई न्यूनतम विद्युत—दर के बराबर उक्त वित्तीय वर्ष में कर दिया जाएगा। यदि उक्त वर्ष के दौरान कोई भी दर प्राप्त नहीं की जाती है तो अन्तिम पूर्व वित्तीय वर्ष में प्राप्त की गई न्यूनतम विद्युत—दर (टैरिफ) पर विचार किया जाएगा।
- (तीन) बिलिंग अवधि के दौरान वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ऊर्जा का भुगतान लागू खुदरा विद्युत प्रदाय टैरिफ आदेश तथा समय—समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 की निबन्धन तथा शर्तों के अनुसार किया जाएगा:

परंतु यह कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी को आयोग द्वारा खुदरा विद्युत प्रदाय टैरिफ आदेश में स्वीकृत किये गये अन्य प्रभारों और शासन द्वारा अधिरोपित किये गये कर/शुल्क/उपकर हेतु बीजक (invoice) प्रस्तुत करने की पात्रता होगी।

(चार) वितरण अनुज्ञप्तिधारी, उसके (वितरण अनुज्ञप्तिधारी) द्वारा प्रत्येक बिलिंग अविध के लिये उपरोक्त विनियम आठ क(दो) के अनुसार देय राशि तथा उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूमर) द्वारा विनियम 8क(तीन) के अनुसार देय राशि को सम्मिलित करते हुए तैयार करेगा परंतु यह कि यदि बिलिंग अवधि हेतु शुद्ध देयक (नेट बिल) उत्पादोभोक्ता द्वारा देय हो तो उपभोक्ता/उत्पादोभोक्ता द्वारा इसका भुगतान देयक की नियत तिथि के भीतर किया जाएगा :

परंतु यह और भी कि यदि बिलिंग अविध हेतु शुद्ध देयक (नेट बिल) राशि वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा देय हो तो इसे अगली बिलिंग अविध के लिये आकलन (क्रेडिट) राशि देयक में अग्रेनयन (क़ैरी फारवर्ड) किया जाएगा। अग्रेनयन की गई राशि हेतु वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किसी भी आकलन (क्रेडिट) राशि पर ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।

- (पांच) वित्तीय वर्ष के अन्त में वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा देय कोई भी राशि जो वित्तीय वर्ष के अन्त में असमायोजित शेष बकाया रह जाए, का भुगतान उपभोक्ता / उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूमर) को अगले वित्तीय वर्ष में अन्तिम रूप से 15 मई तक करना अनिवार्य होगा।
- (छः) उपभोक्ता / उत्पादोभोक्ता जिसकी अनुज्ञप्तिधारियों के उपभोक्ता के रूप में पात्रता समाप्त हो जाये या फिर वह बकाया राशियों का व्यवस्थापन न कर रहा हो, को समायोजन / आकलन (क्रेडिट) के रूप में देय राशि प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी।
- (सात) बिलिंग में किसी विवाद की स्थिति में इसका निराकरण यथालागू मध्यप्रदेश (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना (पुनरीक्षण द्वितीय) विनियम, 2021 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।"
- 10. विनियम 9 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :-"9. नवीकरणीय क्रय आबन्धन :--

कोई उपभोक्ता उत्पादोभोक्ता जिसे आबंधित इकाई के रूप में परिभाषित नहीं किया गया हो, को नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली के माध्यम से यथास्थिति, शुद्ध या सकल मापन व्यवस्था के अधीन उपभोग की गई विद्युत की मात्रा, वितरण अनुज्ञिष्तिधारी के लिये नवीकरणीय क्रय बाध्यता के अनुपालन के लिये अर्हता होगी।"

11. विनियम 10 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :-"10. अन्य प्रभारों को लागू होना :--

शुद्ध या सकल मापन व्यवस्था के अधीन नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली, भले ही वह स्वयं के स्वामित्व वाली या फिर तृतीय पक्षकार के स्वामित्व वाली हो तथा जिसे पात्र उपभोक्ता के परिसर में संस्थापित किया गया हो, को बैंकिंग प्रभार, चक्रण प्रभार तथा प्रतिसहायतानुदान (क्रास सब्सिडी) अधिभार से छूट प्रदान की जाऐगी।"

12 विनियम 12(2) के पश्चात् निम्नलिखित विनियम जोड़ा जाए, अर्थात् :

"12(2क). सकल मापन व्यवस्था के अधीन स्थापित की गई नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणाली के प्रकरण में, पात्र उत्पादोभोक्ता, अपनी स्वयं की लागत पर उक्त प्रणाली से उत्पादित ऊर्जा के मापन हेतु नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन प्रणाली के अन्तर्सयोजन बिन्दु पर लागू केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण विनियमों के अनुरूप अपने स्वयं के व्यय पर एक नवीकरणीय ऊर्जा मापयन्त्र (मीटर) स्थापित करेगा। मापयंत्र की स्थापना इस प्रकार की जाएगी ताकि वितरण अनुज्ञप्तिधारी का प्रतिनिधि मापयंत्र वाचन के लिये उस तक आसानी से पहुंच सके। वितरण अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली से उत्पादोभोक्ता द्वारा उपभोग की गई ऊर्जा का अभिलेखन वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्थापित किये गये मापयंत्र के माध्यम से किया जाएगा।"

13. विनियम 13 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :--

"13. शास्ति या क्षतिपूर्ति

सकल या शुद्ध मापन प्रणाली के, यथास्थिति विफल हो जाने पर, शास्ति या क्षतिपूर्ति के प्रावधान समय—समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (वितरण अनुपालन मानदण्ड) (पुनरीक्षण द्वितीय) विनियम, 2012 के अनुसार लागू होंगे।"

14. विनियम 14 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :--

"14. आवेदन को प्रक्रियाबद्ध करना तथा लागू शुल्क

वितरण अनुज्ञप्तिधारी उत्पादोभोक्ताओं (प्रोज्यूमरों) के परिसर में नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादन प्रणाली की स्थापना हेतु प्रक्रिया को सुकर बनायेगा। इस संबंध में अनुज्ञप्तिधारी –

- (क) उत्पादोभोक्ताओं से उनके परिसर में वितरित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों या युक्तियों का संस्थापन अन्तर्सयोजन तथा मापन के लिये आवेदन प्राप्त करने हेतु ऑनलाईन पोर्टल का सृजन करेगा तथा नियमित आधार पर इसे अद्यतन करेगा;
- (ख) अपनी वेबसाईट पर प्रमुख रूप से और अपने समस्त कार्यालयों में निम्नलिखित जानकारी प्रदर्शित करेगा, अर्थात् :—
 - (एक) छत शीर्ष नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली की स्थापना तथा उसे क्रियाशील करने हेतु विस्तृत मानकीकृत प्रक्रिया ;
 - (दो) छत शीर्ष नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली की स्थापना के लिये आवेदन प्रस्तुत करने से लेकर इसे क्रियाशील किये जाने तक उपभोक्ताओं को सुविधा प्रदान करने के लिये सम्पर्क का कोई एकल बिन्दु ;
 - (तीन) उन कार्यालयों का पता तथा दूरभाष संख्या जहां भरे गये आवेदन पत्रों को प्रस्तुत किया जा सकता है ;
 - (चार) ऐसे आवेदनों के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले प्रपत्रों की सूची ;
 - (पांच) आवेदक द्वारा जमा किये जाने वाले लागू प्रभार ;
 - (छः) सेवा प्रदाताओं के माध्यम से छत शीर्ष नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली संस्थापित करने के इच्छुक उपभोक्ताओं के लाभ के लिये पैनलबद्ध सेवा प्रदाताओं की सूची ; और
 - (सात) उत्पादोभोक्ताओं को केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की विभिन्न परियोजनाओं / स्कीमों तथा कार्यक्रमों के अन्तर्गत यथालागू वित्तीय प्रोत्साहन।
- (ग) वितरण अनुज्ञप्तिधारी प्रपत्र (फार्म) को अपने वेबसाईट तथा अपने स्थानीय कार्यालयों पर हार्ड कॉपी के माध्यम से उपलब्ध करायेगा।
- (घ) परिसर का उपभोक्ता अपनी नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली को अनुज्ञप्तिधारी की वितरण प्रणाली से संयोजन हेतु इस विनियम के साथ संलग्न निर्दिष्ट प्रपत्र में मय रू 1000 (अप्रत्यर्पणीय) के पंजीकरण (रिजस्ट्रीकरण) शुल्क के संबंधित वितरण अनुज्ञप्तिधारी के स्थानीय कार्यालय में या वितरण अनुज्ञप्तिधारियों की वेबसाईट के माध्यम से ऑनलाईन प्रस्तुत करेगा।

- (ङ) यदि आवेदन पत्र को हार्ड कॉपी में प्रस्तुत किया जाता है तो इसकी प्राप्ति के तुरन्त पश्चात् इसे वेबसाईट पर अपलोड किया जायेगा तथा आवेदक के लिये पावती के साथ पंजीकरण संख्या का सृजन किया जाएगा और इसकी सूचना आवेदक को दी जाएगी। यदि आवेदन पत्र को वितरण अनुज्ञप्तिधारी के वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन प्राप्त किया जाता है तो आवेदक के प्रस्तुतिकरण के बाद पंजीकरण (रिजस्ट्रीकरण) संख्या और पावती का सृजन किया जाएगा। किसी आवेदन को पावती के साथ पंजीकरण संख्या के सृजन की तिथि को इसे प्राप्त समझा जाएगा। आवेदन के विभिन्न चरणों जैसे कि आवेदन की प्राप्ति, स्थल निरीक्षण, मापयंत्र संस्थापन और क्रियाशील होने की स्थिति के अनुश्रवण के लिये वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वेब—आधारित अनुप्रयोग (एप्लीकेशन) या किसी अन्य पद्धित के माध्यम से विशिष्ट पंजीकरण संख्या आधारित आवेदन खोजबीन (ट्रेकिंग) तन्त्र उपलब्ध कराया जाएगा।
- (च) अनुज्ञप्तिधारी, 20 दिवस के भीतर, तकनीकी व्यवहार्यता अध्ययन पूर्ण करेगा तथा आवेदक को यथास्थिति आवेदन को स्वीकृत/निरस्त करने बाबत, मय प्राक्कलित राशि जमा करने तथा उपभोक्ता द्वारा निष्पादित किये जाने वाले करार/अनुबन्ध की प्रति के साथ संसूचित करेगा।
- (छ) राशि का पूर्ण भुगतान प्राप्त होने तथा करार/अनुबन्ध यथाविधि निष्पादित किये जाने पर यदि कोई विस्तार/आवर्धन कार्य सन्निहित न हो तथा अन्य प्रकरणों में तीस दिवस के भीतर वितरण अनुज्ञप्तिधारी करार/अनुबन्ध को अन्तिम रूप देगा, कार्य प्रारंभ करेगा तथा उपभोक्ता को सात दिवस के भीतर संयोजन (कनेक्टीविटी) प्रदान करेगा।
- (ज) तकनीकी व्यवहार्यता से कार्य पूर्ण होने तक की समयाविध के दौरान यदि नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली की अपेक्षित क्षमता की स्थापना हेतु किसी वितरण अधोसंरचना स्तरोन्नयन जैसे सेवा लाईन में विस्तार, वितरण ट्रांसफार्मर क्षमता का आवर्धन किये जाने की आवश्यकता हो तो इसका क्रियान्वयन यथास्थिति, वितरण अनुज्ञप्तिधारी या उपभोक्ता, द्वारा किया जायेगा।
- (झ) नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली के संस्थापन पश्चात् उपभोक्ता वितरण अनुज्ञप्तिधारी को स्थापना प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करेगा। अनुज्ञप्तिधारी, स्थापना प्रमाण—पत्र के प्रस्तुतिकरण की तिथि से तीस दिवस के भीतर संयोजन करार/अनुबन्ध पर हस्ताक्षर करने, मापयंत्र (मीटर) की स्थापना करने और नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली को सफलतापूर्वक क्रियाशील करने संबंधी

- कार्रवाई करेगा। संविदा करार/अनुबन्ध और स्थापन प्रमाण-पत्र के प्ररूप को वितरण अनुज्ञप्तिधारी के वेब पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा।
- (ञ) उपभोक्ता के पास अपेक्षित मापयंत्र (मीटर) को स्वयं क्रय करने का विकल्प होगा जिसका परीक्षण तथा संस्थापन वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया जाएगा।
- (ट) वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आयोग द्वारा यथानिर्दिष्ट उपरोक्त समय—सीमाओं का पालन किया जाएगा। विलम्ब की स्थिति में किसी यथोचित कारण के बिना अनुज्ञप्तिधारी विशिष्ट प्रकरणों में, विलम्ब का औचित्य दर्शाते हुए, आयोग से अनुमोदन प्राप्त करेगा।
- (ठ) वितरण अनुज्ञप्तिधारी की ओर से विलम्ब के प्रकरण में, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता को चूक के प्रत्येक दिवस के लिये पांच सौ रूपये प्रतिदिन की दर से क्षतिपूर्ति का भुगतान करना होगा।
- (ड) वितरण अनुज्ञप्तिधारी उत्पादोभोक्ताओं को केन्द्रीय तथा राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं / स्कीमों तथा कार्यक्रमों के अन्तर्गत यथाउपलब्ध वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करेगा।
- (ढ) किसी विवाद की स्थिति में, उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूमर) संबद्ध वितरण अनुज्ञप्तिधारी के विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम से सम्पर्क कर सकेगा।"

आयोग के आदेशानुसार, गजेन्द्र तिवारी, आयोग सचिव.

Bhopal, the 22nd September 2021

No. 1400 /MPERC /2021 - In exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 181 and clause (zd) and (zi) of sub-section (2) of Section 181 read with clause (h) of Section 61 and clause (e) of sub-section (1) of Section 86 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003) read with the Electricity (Rights of Consumers) Rules, 2020 notified by the Ministry of Power, Govt. of India vide number G.S.R. 818(E) on 31st December, 2020, as amended, the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission, hereby makes the following amendments in the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Grid Connected Net Metering) Regulations, 2015, namely:-

Second Amendment to Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Grid connected Net Metering) Regulations, 2015 (AG-39(ii) of 2021)

- 1. Short title, extent and commencement: (1) These Regulations shall be called Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Grid connected Net Metering) (Second Amendment) Regulations, 2015 (AG 39 (ii) of 2021).
- (2) They shall extend to whole of the State of Madhya Pradesh.
- (3) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette of Madhya Pradesh.

2. Amendments in Regulation 2

- (1) In Regulation 2, after clause (k), the following shall be added namely: -
- (ka) "Gross metering" means the arrangement under which entire energy generated from Renewable Energy system installed at eligible consumer premises, which is also connected to grid, is delivered to the distribution system of the distribution licensee;
- (2) In Regulation 2, after clause (q), the following shall be added namely:-
- (qa) "prosumer" means a person who consumes electricity from grid and can also inject electricity into the grid for distribution licensee, using same point of supply. While the prosumers will maintain consumer status and have the same rights as the general consumer, they will also have right to set up rooftop Renewable Energy (RE) generation unit either by himself or through a service provider;

3. Regulation 3 shall be substituted namely:-

"3. Scope and Application

- (a) The eligible consumer may install the Renewable Energy system under net metering arrangement upto 500 kW capacity. However, the capacity of the Renewable Energy System shall not exceed the sanctioned load or the contract demand of the consumer, as applicable;
- (b) For the capacity above 500 kW and maximum upto 1 MW, Gross Metering shall be allowed. However, the capacity of the Renewable Energy System shall not exceed the sanction load or the contract demand of the consumer, as applicable;
- (c) Such Renewable Energy System shall be located in the consumer premises or common facility area in case of multi storied buildings;
- (d) Such Renewable Energy System, shall interconnect and operate safely with the Distribution Licensee network conforming to the relevant provisions of the Central Electricity Authority (Measures relating to safety and electric supply) Regulations, 2010 as amended from time to time;
- (e) The voltage level allowed for such system shall be in accordance with the Madhya Pradesh Electricity Supply Code, 2021, as amended from time to time; and
- (f) The prosumers who are using the facility of Net Metering prior to the date of this notification, shall be allowed to continue availing the same facility."
- 4. Regulation 4 shall be substituted as follows, namely:-

"4. General Principles

The Distribution licensee shall offer the provision of net or gross metering arrangement, as the case may be, to the consumer, who intends to install grid connected Renewable Energy system, in its area of supply on non-discriminatory and first come first serve basis, subject to no operational constraints:

Provided that the consumer is eligible to install the grid connected Renewable Energy system of the rated capacity as specified under these Regulations:

Provided further that the expenses, if any, incurred on the infrastructure development for such purposes are required to be borne by the consumer."

5. Regulation 5 shall be substituted as follows, namely:-

"5. Capacity of Distribution Transformers:-

*The Distribution Licensee shall update distribution transformer level capacity available for connecting Renewable Energy systems under net or gross metering arrangement, as the case may be, on yearly basis and shall provide the information on its website:

8.

2.

Ron

Provided that the cumulative capacity allowed at a particular distribution transformer of Distribution Licensee shall not exceed 30% of the peak capacity of the distribution transformer."

6. Regulation 7 shall be substituted as follows, namely:-

"7. Interconnection with the Grid

The interconnection of the Renewable Energy system with the network of the Distribution licensee shall be made as per technical standards for connectivity of distributed generation resources Regulations namely CEA (Technical Standards for connectivity of Distributed Generation Resources) Regulations, 2013, and its amendments from time to time."

- 7. In Regulation 8, the heading "Energy Accounting & Settlement" shall be read as "Energy Accounting & Settlement for Net Metering".
- 8. Regulation 8(7) shall be substituted as follows, namely:-
 - "(7) At the end of the each financial year, any net energy credit which remains unadjusted shall be paid by the Distribution licensee to the eligible consumers by 15th May of the next Financial Year, at the rate equal to the lowest tariff rate discovered in the solar / wind bidding, as the case may be, for the State of MP in that Financial Year. In case no rate discovered in that financial year, the lowest tariff rate discovered in the latest previous financial year shall be considered."
- 9. After Regulation 8, following Regulation shall be added namely,

"8A. Energy Accounting and Settlement for Gross Metering

- (i) For each billing period, the Distribution Licensee shall show the quantum of electricity injected into Licensee's system by the consumer / prosumer and quantum of electricity supplied by the Distribution Licensee, separately.
- (ii) The energy injected into Licensee's system by the consumer / prosumer during the billing period shall be payable by the Distribution Licensee at the rate equal to the lowest tariff rate discovered in the solar / wind bidding, as the case may be, for the State of MP in that Financial Year. In case no rate discovered in that financial year, the lowest tariff rate discovered in the latest previous financial year shall be considered.
- (iii) The energy supplied by the distribution Licensee during the billing period shall be billed as per the terms and conditions of applicable Retail Supply Tariff Order and Madhya Pradesh Electricity Supply Code, 2021, as amended from time to time:

Provided that, the Distribution Licensee shall also be eligible to raise invoice for any other charges as allowed by the Commission in Retail Supply Tariff Order and any tax/duty/cess imposed by the Government.

(iv) The Distribution Licensee shall prepare a net bill comprising of the amount payable by Distribution Licensee as per Regulation 8A (ii) above and amount payable by prosumer as per Regulation 8A (iii) above for each billing period:

Provided that, if the net bill amount for a billing period is payable by the consumer / prosumer, then the same shall be paid by the consumer / prosumer within the due date of the bill:

Provided further that, if the net bill amount for a billing period is payable by Distribution Licensee, then the same shall be carried forward in the bill for next billing period as credit amount. No interest shall be payable by Distribution Licensee on such credit amount carried forward.

- (v) At the end of each Financial Year, any amount payable by Distribution Licensee remaining unadjusted during the financial year shall be paid to the consumer / prosumer latest by the 15th May of the next Financial Year.
- (vi) The consumer whose entitlement as a consumer of the licensees is ceased or he is not settling his dues with the licensee, shall not be entitled to receive due amount of the adjustment/credit.
- (vii) In case of any dispute in billing it shall be settled under the provisions of the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Establishment of Forum and Electricity Ombudsman for redressal of grievances of the consumers) (Revision II) Regulations, 2021 as applicable."
- 10. Regulation 9 shall be substituted as follows, namely:-
 - "9. Renewable Purchase Obligations:-

The quantum of electricity consumed by the eligible consumer / prosumer, who is not defined as obligated entity, from the Renewable Energy system under net or gross metering arrangement, as the case may be, shall qualify towards compliance of Renewable Purchase Obligation (RPO) for the Distribution licensee."

11. Regulation 10 shall be substituted as follows, namely:-

"10. Applicability of other charges:-

The Renewable Energy system under net or gross metering arrangement, as the case may be, whether self-owned or third party owned installed on eligible consumer / prosumer premises, shall be exempted from banking charge, wheeling charge and cross subsidy surcharge."

- 12. After Regulation 12 (2), following Regulation shall be added namely:-
 - "12 (2A) In case of Renewable Energy Generating System set up under Gross Metering arrangement, the eligible prosumer shall install, at his own cost, a RE Generation Meter conforming to the applicable CEA Regulations at the Interconnection Point of Renewable Energy generating system, to measure the energy generated from

14.

11

such system. The meter shall be installed as would enable easy access to the Distribution Licensee for meter reading. The energy consumed by the prosumer from the Distribution Licensee's system shall be recorded by the meter installed by the Distribution Licensee:

Provided that the RE Generation Meter shall be maintained by the Distribution Licensee."

13. Regulation 13, shall be substituted as follows, namely:-

"13. Penalty or Compensation

In case of failure of net or gross metering system, as the case may be, the provisions of penalty or compensation shall be as per the provisions of the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Distribution Performance Standards) (Revision-II) Regulations, 2012 as amended from time to time."

14. Regulation 14, shall be substituted namely:-

"14. Processing of application and application fee:-

The distribution licensee shall facilitate the process for setting up of RE generation system at prosumers' premises. In this regard, the licensee shall

- (a) Create an online portal for receiving applications from prosumers for installation, interconnection and metering of distributed Renewable Energy systems or devices at their premises, and update the same on a regular basis.
- (b) Prominently display on its website and in all its offices, the following namely: -
 - (i) detailed standardized procedure in details for installation and commissioning of roof top Renewable Energy system;
 - (ii) a single point of contact to facilitate the consumers in installation of roof top

 Renewable Energy system from submission of application form to commissioning;
 - (iii) address and telephone numbers of offices where filled-up application forms can be submitted;
 - (iv) Complete list of documents required to be furnished along with such applications;
 - (v) applicable charges to be deposited by the applicant;
 - (vi) empanelled list of service providers for the benefit of consumers who want to install roof top Renewable Energy system through service providers; and
 - (vii) financial incentives to the prosumers, as applicable under various schemes and programmes of the Central and State Governments.

- (c) The Distribution licensee shall make the form available on its website and through hard copy at its local offices.
- (d) The consumer of the premises shall submit the application to connect its Renewable Energy system to the distribution system of the licensee in the specified form as annexed to the Regulation along with processing fee of Rs. 1000 at the local office of the concerned Distribution licensee or online through Web portal of Distribution Licensees.
- (e) In case, the application form is submitted in hard copy, the same shall be scanned and uploaded on the website as soon as it is received and acknowledgement with the registration number for that application shall be generated and intimated to the applicant. In case, the application form is received online through web portal of the distribution licensee, the acknowledgement with the registration number shall be generated on submission of application. Application shall be deemed to be received on the date of generation of acknowledgement with registration number; and the application tracking mechanism based on the unique registration number shall be provided by the distribution licensee through web-based application or any other mode to monitor the status of processing of the application like receipt of application, site inspection, meter installation and commissioning etc.
- (f) Within 20 days, the licensee shall complete the technical feasibility study and shall communicate to the applicant the sanction / rejection of the application, as the case may be, along with the estimate to be deposited and the copy of agreement to be executed by the consumer.
- (g) On receipt of full payment and the agreement duly executed, the Distribution licensee shall finalise the agreement and take up the work and provide connectivity to the consumer within 7 days, if no extension/augmentation work is involved and within 30 days in other cases.
- (h) During the time period from the feasibility study till the completion of installation, in case, there is any requirement of upgradation of distribution infrastructure like augmentation of service line, distribution transformer capacity, etc., for installation of the required capacity of Renewable Energy system, the same shall be carried out by the distribution licensee or consumer, as the case may be.

- (i) After installation of Renewable Energy system, the consumer shall submit the installation certificate to the distribution licensee. The licensee shall complete signing of connection agreement, installation of meter and successful commissioning of the Renewable Energy system within thirty days from the date of submission of the installation certificate. Formats of contract agreement and installation certificate shall be placed on web-portal of the distribution licensee.
- (j) Consumer shall have the option of purchasing the requisite meter himself which shall be tested and installed by the distribution licensee.
- (k) The timelines as specified above in these Regulations shall be adhered to by the distribution licensee. In case of delay, the licensee may take approval from the Commission in specific cases along with justification for the same.
- (l) In case of any delay on the part of distribution licensee without any just cause, the Licensee shall be liable to pay compensation to the consumer at a rate of five hundred rupees per day for each day of default.
- (m) The distribution licensee shall pass on the financial incentives to the prosumers, as may be provided under various schemes and programmes of the Central and State Governments.
- (n) In case of any dispute, the prosumer may approach to the Electricity Consumer Grievance Redressal Forum of the concerned Distribution licensee."

By order of the Commission, GAJENDRA TIWARI, Commission Secy.